(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 14/2015–2020
दिनांकः– 13 जुलाई, 2021

विषयः विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों हेतु परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) स्कीम के तहत दावों को प्रस्तुत करने की समयावधि में विस्तार।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के अध्याय 7 (क) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैः

पैरा 7क.01(घ) में, निम्नलिखित वाक्य को अंत में जोडा जाता हैः

"दिनांक 31 मार्च, 2020 और 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाहियों हेतु ऐसे दावों के रिफंड के लिए आवदेन दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक प्रस्तुत किए जा सकते है।"

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः दिनांक 31.03.2020 और 30.06.2020 को समाप्त तिमाहियों हेतु टीएमए स्कीम के तहत सहायता हेतु दावों को दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

अमित यादव
13/07/2021

(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा० सं० 01/92/180/12/एएम–22/पी.सी–VI/ई–27866 से जारी)